बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं०सं० :–2/अ०प्र०–1–91/2023 1431 /पटना, दिनांक :– 27.5.24

श्री निकेत कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत पैसे के लेन–देन संबंधी वायरल विडियो में संवेदकों से अवैध रूप से पैसे का लेन–देन करने एवं इस आलोक में खजाँची हाट सहायक थाना कांड संख्या–736/2023 दिनांक 17.06.2023 दर्ज होने के मामले में आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1672 अनु0 दिनांक 02.08.2023 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 15.02.2024 पर अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ का प्राप्त मंतव्य के आलोक में समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध उक्त आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतएव श्री कुमार के विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया जाता है।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विकास कुमार साह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–5 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री निकेत कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद का कार्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/5/24

(डॉ0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–91/2023 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालिस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–91/2023 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री विकास कुमार साह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–5 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री निकेत कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–91/2023 1436 /पटना, दिनांक :– 27.5.24

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/24

संयुक्त सचिव